

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1881 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12-11-2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/41149/2019.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 33 / FP/UK/ROAD/67235/2021 दिनांक 02.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1707/12-1 दिनांक 25.10.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो0 संख्या 902/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 33/FP/UK/ROAD/67235/2021 देहरादून दिनांक 02.07.2021 एवं ऑनलाईन दिनांक 30.06.2021 को लगाई गई आपत्ति एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1317/12-1 दिनांक 29.09.2021 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र0 सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में प्रभागीय अधिकारी/प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं किये गये है। कृपया प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर वाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2 में हरियाली का घनत्व 0.1 अंकित किया गया है, जब कि प्रपत्र-42 एन0पी0बी0 के आंकलन के प्रमाण पत्र में घनत्व 0.2 अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें।	प्रपत्र सही कर अपलोड कर दिये गये है।
3	प्रस्ताव के प्रपत्र 18 में परियोजनाओं किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने के कारण प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं किये गये है। कृपया प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करवा कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के प्रपत्र 19 में परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी 1.60 किमी0 अंकित की गई है। जबकि प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति दिये जाने का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना है। अतः उक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।
5	CBA (Cost benefit analysis) not found uploaded. Kindly upload the same at relevant place in Form A, Part I	Cost benefit analysis अपलोड कर दिया गया है।
6	Kindly upload the Geo reference Map and SOI Toposheet again (blurred) for CA area	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियोरिफरेन्स व डिजीटल मैप अपलोड कर दिया गया है।

नोट:- संलग्नक को EDS में अपलोड किया जाना संभव नहीं है। संलग्नक 4 प्रतियों में हर्ड ऑफिसों के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।